

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./विद्युत/ २२९

रायपुर, दिनांक ०४/०१/२०१८

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)
छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :- Diversion of Forest Land for no-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed 132 Kv Nagri-Indagaon Transmission Line, area 111.456 ha. regarding.

पंजीयन क्रमांक/FP/CG/TRANS/22047/ 2016.

- संदर्भ :-**
1. आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/459-158/3804 दि. 30.12.2017
 2. वनमंडलाधिकारी गरियाबंद का पत्र क्र./मा.चि./भू-प्र/35 दि. 06.01.2018
 3. वनमंडलाधिकारी धमतरी का पत्र क्र./मा.चि./सी/22 दि. 05.01.2018

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र क्रमांक -1 के माध्यम से उपरोक्त प्रकरण में 04 बिंदुओं की कमियां पायी गयी थी जिसकी जानकारी आपके द्वारा चाही गयी थी। उपरोक्त कमियों का निराकरण कर वनमंडलाधिकारी गरियाबंद एवं धमतरी वनमंडल के द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक - 2 एवं 3 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसका परीक्षण उपरांत आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

बिंदु क्रमांक - 3 हेतु मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त रायपुर छ.ग. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर छ.ग.

पृ.क्रमांक/तक.शा./विद्युत/ २२९

रायपुर, दिनांक ०४/०१/२०१८

- प्रतिलिपि :-**
1. वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 2. वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 3. कार्यपालन अभियंता अति उच्च दाब निर्माण संभाग छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी गुड़ियारी रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर छ.ग.

PART - III

(To be filled by the concerned Conservator of Forest)

15) Whether site, Where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forests (Yes/No) if yes, the date of inspection note be enclosed.	Yes the site has been inspected on dated 06.12.2017 and the region is of mixed forest. The density varies approximately between 0.1 to 0.8 and the average density is appx. 0.6. There has been no violation of FC Act. The aforesaid diversion is very essential for the completion of the project.
16) whether the concerned Conservator of Forest agree with the information given in Part - B and the recommendation of Deputy Conservator of Forests.	Yes
17) Specific recommendation of concerned Conservator of Forest for acceptance or other wise of the proposal with detailed reasons.	Diversion of 111.456 Ha. Forest land for 132 Kv DCDS LINE FROM PROPOSED 132/33 Kv s/s INDAGAON DISTT. GARIYABAND (C.G.) IS STRONGLY RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE.

Date 6.12.17
Place : Raipur

Conservator of Forest
Raipur Circle
Raipur (C.G.)
(Arun Kr. Pandey IFS)
Chief Conservator of Forests
Raipur Circle, Raipur (C.G.)